कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री आगरा कलर लैब्स एसोसियेशन, 253, जयपुर हाउस, आगरा।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**76 / 11**
प्रार्थी की ओर से	**श्री हरीश सचदेवा, चार्टेड एकाउन्टेन्ट।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-76 / 11, दिनांक 30.08.11 प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से निम्न प्रश्न पूछा गया है :-

   A. **WHETHER THE PHOTOGRAPHY SERVICES PROVIDED BY THE MEMBERS OF THE APPLICANT SOCIETY IS A " WORKS CONTRACT AND THUS A TRANSACTION OF " SALE " UNDER THE PROVISIONS OF VAT ACT ?**

   B. **IF THE ANSWER TO THE AFORESAID IS IN AFFIRMATIVE, THEN WHAT IS THE " SALE PRICE " ?**

2. फर्म की ओर से श्री हरीश सचदेवा, चार्टेड एकाउन्टेन्ट उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा अवगत कराया गया कि आजकल साइन्स और तकनीकी की प्रगति के साथ ही बाजार में डिजिटल कैमरे का उपयोग बढ़ गया है इस कारण से आजकल कैमरों में फिल्म रोल का प्रचलन लगभग नगण्य रह गया है। अतः फिल्म की डेवलपिंग करने का कार्य लगभग समाप्तप्राय है तथा केवल कैमरे की चिप के आधार पर फोटो प्रिन्ट का कार्य किया जाता है। उनके व्यापारी एक सोसायटी हैं तथा जिनके सदस्यों के पास डिजिटल मिनी लैब है जिसके माध्यम से सोसायटी के सदस्य फोटोग्राफी सेवा प्रदान करते हैं। चूँकि फिल्म रोल को डेवलेप करने का कार्य लगभग समाप्तप्राय है। अतः सोसायटी के सदस्यों द्वारा स्थापित डिजिटिल मिनी लैब में मुख्यतः तीन कार्य होते हैं 1. डिजिटल इनपुट द्वारा कैमरे की इमेज को हाई प्रिसीजन डिजिटल फारमेट में परिवर्तित कर दी जाती हैं 2. इमेज को पैरामीटर के साथ प्रिन्ट क्वालिटी के हिसाब से सेट किया जाता है 3. तत्पश्चात् डिजिटल फोटोग्राफ को प्रिन्ट किया जाता है। अतः इन तीन प्रक्रियाओं द्वारा फोटोग्राफ छापने के सम्बन्ध में वह यह जानना चाहते हैं कि क्या सोसायटी के सदस्यों द्वारा इन तीनों प्रकार से फोटोग्राफिक सेवाएं प्रदान करने को वर्क्स कान्ट्रैक्ट / बिक्री के अन्तर्गत माना जायगा। यदि उनके सदस्यों द्वारा किये गये उक्त कार्य को वर्क्स कान्ट्रैक्ट / बिक्री की परिभाषा में माना जाय तो उक्त में सेल प्राइज क्या होगा ?

3. एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, आगरा जोन द्वारा अपने पत्रांक-2549, दिनांक 17.11.11 के द्वारा आख्या प्रेषित की गई है जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि एकमुश्त संविदा के मामले में सर्विस तथा सेल के तत्व को पृथक किया जा सकता है तथा 46वें संविधान संशोधन के पश्चात् भिन्न-भिन्न विधायिकाएं सर्विस तथा सेल के भाग पर अलग-अलग कर लगा सकती हैं तथा यह भी स्थापित हो चुका है कि वर्क्स कान्ट्रैक्ट के मामले में Dominet Nature Test लागू नहीं होगा। अतः फोटो डेवलपिंग एवं प्रिन्टिंग के

......2

<u>सर्वश्री आगरा कलर लैब्स एसोसियेशन / प्रा0 पत्र सं0-76 / 11 / धारा-59 / पृष्ठ-2</u>

कार्य में सर्विस व बिक्री दोनों का कान्ट्रैक्ट सम्मिलित होता है और इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी ऑफ गुड्स सन्निहित होने के कारण अन्तरित माल पर बिक्री कर की देयता भी होती है । अत: फोटोग्राफर द्वारा जहॉ तक अपने स्किल का प्रयोग किया जाता है वह सर्विस कान्ट्रैक्ट का पार्ट होता है तथा फोटो खींचने के पश्चात् फोटो की डेवलपिंग / प्रिन्टिंग में प्रयुक्त सामग्री जैसे-फोटोग्राफिक पेपर केमीकल, कलर, इंक आदि से सम्बन्धित भाग वर्क्स कान्ट्रैक्ट से सम्बन्धित है तथा ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी ऑफ गुड्स सन्निहित होने के कारण उक्त वस्तुओं की डीम्ड सेल होने के कारण वह बिक्री कर का पार्ट होता है । फोटोग्राफर द्वारा फोटो में प्रयुक्त वस्तुओं की कीमत जोड़कर ग्राहक से वसूला जाता है । अत: इनमें Valuable Consideration सन्निहित होता है। अत: फोटोग्राफी डेवलपिंग एवं प्रिन्टिंग के कार्य में फोटोग्राफर द्वारा ग्राहक से वसूली गयी धनराशि पर जो वस्तुएं अन्तरित होती हैं उनके मूल्य तथा उन पर विज्ञापित कर के अनुसार करदेयता निर्धारित की जायगी ।

आख्या में अवगत कराया कि फोटोग्राफी डेवलपिंग व प्रिन्टिंग के कार्य में सेल प्राइज का प्रश्न है, फोटोग्राफी डेवलपिंग एवं प्रिन्टिंग के वर्क्स कान्ट्रैक्ट में प्रयुक्त होने वाले फोटोग्राफिक पेपर, पैकिंग मैटेरियल / इनवलप प्रत्यक्षत: अंतरित होते हैं । अत: इनकी परिकल्प बिक्री पर करदेयता बनेगी । इसी के साथ ही साथ कलर / केमीकल इत्यादि मूल रूप से ट्रांसफर नहीं होते हैं अपितु उनके गुण Shade के रूप में फोटोग्राफिक पेपर पर ट्रांसफर होती है । अत: कलर, केमीकल, डाई आदि की डीम्ड सेल पर भी करदेयता बनेगी ।

4. सुनवाई हेतु श्री हरीश सचदेवा, चार्टेड एकाउन्टेन्ट उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा एक लिखित स्पष्टीकरण दाखिल किया गया । उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी सोसायटी के सदस्यों द्वारा फोटो की प्रिन्टिंग का कार्य किया जाता है । अवगत कराया गया कि माननीय सदस्य व्यापार कर अधिकरण, पीठ-2, वाराणसी द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.05.06 द्वारा सर्वश्री डी0 के0 कलर लैब, लक्सा रोड, वाराणसी बनाम कमिश्नर, व्यापार कर, उत्तर प्रदेश के वाद में फोटोग्राफी से सम्बन्धित संविदा को सर्विस संविदा माना गया है तथा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा उच्च न्यायालय में दाखिल रिवीजन संख्या-1893 ऑफ 2006 को खारिज करते हुए माननीय सदस्य व्यापार कर अधिकरण पीठ-2, वाराणसी के उपरोक्त निर्णय का समर्थन किया गया है । उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अपने निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री सी0 के0 जिदीश बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (2005) 13 सुप्रीम कोर्ट के केसेस 37 में पारित निर्णय दिनांक 27.10.2005 को सन्दर्भित करते हुए फोटोग्राफी के कार्य को सर्विस कान्टैक्ट माना गया है । अवगत कराया कि फोटो की डेवलपिंग का कार्य नहीं किया जाता है तथा उनके कार्य में फोटोग्राफी पेपर की खरीद उत्तर प्रदेश के पंजीकृत व्यापारियों से कर अदा करके की जाती है तथा प्रिन्टिंग पेपर में प्रिन्ट करने हेतु आजकल अलग से कोई इंक और कलर का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि फोटोग्राफिक पेपर मे RGB (रेड ग्रीन ब्लू) Inbuilt कलर आदि पूर्व से ही उपलब्ध रहते हैं तथा फोटो प्रिन्टिंग के कार्य में प्रयुक्त कागज व कैमिकल की खरीद प्रदेश के भीतर से वैट अदा करके की जाती है ।

5. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, पत्रावली एवं अभिलेखों आदि का परिशीलन किया गया । पाया गया कि यदि प्रार्थी द्वारा बनाये जाने वाले फोटोग्राफ की कोई व्यवसायिक उपादेयता नहीं है और वह फोटो केवल

......3

उसी व्यक्ति विशेष के कार्य की है जिनके द्वारा उक्त फोटोग्राफ बनवाये गये हैं तो ऐसे फोटोग्राफ के निर्माण / प्रिन्टिंग का कार्य वर्क्स कान्ट्रैक्ट की श्रेणी में नहीं आयगा तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा सर्वश्री डी0 के0 कलर लैब, लक्सा रोड, वाराणसी के मामले में पारित आदेश दिनाक 16.08.10 के परिप्रेक्ष्य में सर्विस कान्ट्रैक्ट के अन्तर्गत आयेगा और तदनुसार ही कागज, कलर, कैमिकल आदि पर ही करदेयता रहेगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 09 मार्च, 2012

ह0/-09.03.2012

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।